## 12.01.17

वादी द्वारा पुकार लगाये जाने पर कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव। प्रतिवादी क्रमांक २ व ३ द्वारा अधिवक्ता श्री दाताराम बंसल। प्रतिवादी क्रमांक ४ पूर्व से एकपक्षीय। प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी साक्ष्य अनुपस्थित है।

सांय 5 बजे तक वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ परिणामस्वरूप आदेश 17 नियम 3(बी),2 सी.पी.सी. के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

व्यय तालिका बनायी जावे। प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार में भेजा जावे।

सही/-

्रामें २., गोहद